भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 732
गुरूवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

732. श्री आर. धरमारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को कार्यान्वित कर रही है, यदि हां, तो तमिलनाडु राज्य में अब तक हुई प्रगति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु राज्य में एबीआरवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) एबीआरवाई के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में अब तक आवंटित, स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में क्या उपलब्धि हासिल हुई है;

(घ) क्या सरकार एबीआरवाई को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए पात्रता शर्तों में संशोधन करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के तहत, दिनांक 31.03.2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों को पंजीकरण की तारीख से 2 साल तक लाभ मिलता रहेगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत धन का कोई विशिष्ट राज्य-वार आवंटन नहीं है। इस योजना तहत, दिनांक 19.01.2024 तक, देश भर में 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है। तमिलनाडु राज्य के लिए लाभान्वित प्रतिष्ठानों, लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या और वितरित राशि (करोड़ रुपये में) निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या	वितरित राशि (करोड़ रुपये में)
2020-21	6038	170388	38.92
2021-22	9109	568104	469.99
2022-23	1558	77627	541.18
2023-24 (19.01.2024 तक)	56	1935	128.09
योग	16761	818054	1178.18

*****